वीज़ा रद्द होना क्या होता है?

जब किसी का वीज़ा रद्द (कैंसल) हो जाता है, तो इसका अर्थ होता है कि उनके पास अब वह वीज़ा नहीं है जिसे कैंसल किया गया है और वह उस वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया में न तो रह सकता है न ऑस्ट्रेलिया में आ सकता है। वीज़ा एक निर्णय के तहत, आवश्यक रूप से या किसी कानून के तहत कैंसल किया जा सकता है। वीज़ा कैंसल होने पर **हो सकता है** कि वह व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में ग़ैर-कानूनी हो जाए, भविष्य में किए जाने वाले आवेदनों पर असर पड़े या उस व्यक्ति को कुछ प्रकार के वीज़ा मिलने पर रोक लग सकती है।

यह आवश्यक है कि आप डिपार्टमेंट ऑफ़ होम अफेयर्स (आप्रवासन विभाग) के साथ अपने संपर्क विवरण हमेशा सही रखें ताकि उनसे आने वाली कोई भी सूचना या पत्र मिलने में चूक न हो जाए।

कैंसल करने के इरादे का नोटिस

यदि डिपार्टमेंट ऑफ़ होम अफेयर्स आपका वीज़ा कैंसल करने पर विचार कर रहा है, तो हो सकता है कि आपको डिपार्टमेंट ऑफ़ होम अफेयर्स से 'नोटिस ऑफ़ इंटेंशन टू कैंसल (कैंसल करने के इरादे का नोटिस)' प्राप्त होगा। अस्थाई और स्थाई, दोनों तरह के वीज़ा कैंसल किए जा सकते हैं। इस नोटिस का जवाब देने की समय सीमा बहुत सख्त होती है और यह 5 कामकाजी दिनों जितनी कम हो सकती है। कोई जवाब न देने पर डिपार्टमेंट ऑफ़ होम अफेयर्स वीज़ा कैंसल करने का फैसला ले सकते हैं। नोटिस को पढ़ना ज़रूरी है ताकि यह पता चल सके कि जवाब के लिए आपके पास सही समय सीमा क्या है।

यदि नोटिस आपको हाथों-हाथ दिया जाता है, तो आपका वीज़ा तुरंत कैंसल किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो जवाब देने के लिए पर्याप्त समय मांगें।

यदि आपको कैंसल करने के इरादे का नोटिस मिलता है, तो ये कदम उठाएँ

1. नोटिस को अच्छी तरह पढ़ें और ध्यान दें कि संबंधित जवाब देने के लिए क्या समय सीमा दी गई है।
2. सलाह के लिए तुरंत किसी अप्रवासन मामलों के वकील या एजेंट से संपर्क करें।
3. आपके वकील/एजेंट की सहायता से, डिपार्टमेंट ऑफ़ होम अफेयर्स (आप्रवासन विभाग) को NOICC (कैंसल करने के इरादे के नोटिस) की समय सीमा के भीतर जवाब प्रदान करें।

SOUTH AUSTRALIAN MIGRANT WORKERS
(08) 8279 2222
samigrantworkers.org.au

कैंसल करने के इरादे का नोटिस

यदि डिपार्टमेंट ऑफ़ होम अफेयर्स आपका वीज़ा कैंसल करने पर विचार कर रहा है, तो हो सकता है कि आपको डिपार्टमेंट ऑफ़ होम अफेयर्स से 'नोटिस ऑफ़ इंटेंशन टू कैंसल (कैंसल करने के इरादे का नोटिस)' प्राप्त होगा। अस्थाई और स्थाई, दोनों तरह के वीज़ा कैंसल किए जा सकते हैं।

इस नोटिस का जवाब देने की समय सीमा बहुत सख्त होती है और यह 5 कामकाजी दिनों जितनी कम हो सकती है।

कोई जवाब न देने पर डिपार्टमेंट ऑफ़ होम अफेयर्स वीज़ा कैंसल करने का फैसला ले सकते हैं। नोटिस को पढ़ना ज़रूरी है ताकि यह पता चल सके कि जवाब के लिए आपके पास सही समय सीमा क्या है।

यदि नोटिस आपको हाथों-हाथ दिया जाता है, तो आपका वीज़ा तुरंत कैंसल किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो जवाब देने के लिए पर्याप्त समय मांगें।

यदि आपको कैंसल करने के इरादे का नोटिस मिलता है, तो ये कदम उठाएँ

1

नोटिस को अच्छी तरह पढ़ें और ध्यान दें कि संबंधित जवाब देने के लिए क्या समय सीमा दी गई है।

2

सलाह के लिए तुरंत किसी अप्रवासन मामलों के वकील या एजेंट से संपर्क करें।

3

आपके वकील/एजेंट की सहायता से, डिपार्टमेंट ऑफ़ होम अफेयर्स (आप्रवासन विभाग) को NOICC (कैंसल करने के इरादे के नोटिस) की समय सीमा के भीतर जवाब प्रदान करें।